ISSN 2348-3857

भारत में राजनीति का अपराधीकरण

डॉ. नीलम उपाध्याय

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, उपनिदेशक, राजस्थान प्रा.शि.प., जयपुर (राजस्थान)

सुरेन्द्र सिंह चौधरी

वरिष्ठ अध्यापक, रा.उ.मा.वि. छाण बाससूर्या, टोंक (राजस्थान)

शोध सारांश

वर्तमान में लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन पद्धति के रूप में स्वीकार्य है। इसमें जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है परन्तु कोई भी निर्वाचन प्रणाली पूर्णत: सफल नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि ये अनेक बुराईयों एवं चुनौतियों के कारण दूषित हो गई है। ऐसी ही चुनौतियों में एक है राजनीति का अपराधीकरण। प्रस्तुत आलेख भारतीय राजनीति का अपराधीकरण में यह बताया गया है कि भारतीय राजनीति का अपराधीकरण निरन्तर बढ़ रहा है। धनबल एवं बाहुबल पर बनने वाले दागी सांसदों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। इस कठिन समस्या के हल की आवश्यकता है जिसके लिये एक कार्य योजना बनाने एवं संकल्प शक्ति निश्चित करने की आवश्यकता है। इस हेतु संक्षिप्त विवरण इस आलेख में समाहित है।

संकेताक्षर : *अपराधियों का राजनीतिकरण, वोहरा समिति, दागी सांसद*

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारतीय राजनीति में बढ़ते धनबल, भुजबल, भ्रष्टाचार एवं राजनीति के अपराधीकरण के कारण राजनीतिक व्यवस्था की छवि धूमिल हो रही है। आज हम नैतिक मूल्यों के पतन के संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। आज देश की प्रमुख समस्या राजनीति का अपराधीकरण बन गई है। राजनीति में चुनाव जीतने, आगे बढ़ने एवं सत्ता प्राप्त करने के लिये अपराध और अपराधियों का प्रयोग ही राजनीति को दूषित बना रहा है। जब राजनीतिक महत्वकांक्षाओं की पूर्ति के लिये अपराध का सहारा लेना राजनीति का अंग बन जाता है तो इस स्थिति में सत्ता तक पहुंचने की आकांक्षा ही आपराधिक साधनों के प्रयोग के लिये प्रेरित करती है। लोकतंत्र की जड़ें आत्मानुशासन एवं विधि के शासन में होती है, किन्तु आज जो व्यक्ति जितना समर्थ है वह उतना ही उच्छृखंलता और कानून के उल्लंघन से शासन तंत्र को नष्ट कर रहा है। राजनेता एवं मंत्री अपने अधिकारों के दुरूपयोग से अथवा अकर्मण्यता से शासन व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। जनमत पर अभी भी वंशवाद, व्यक्तिवाद एवं जातिवाद हावी है। चुनाव पूंजीपतियों एवं अपराधियों का खेल बन गये हैं। शोषण एवं भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर हो रहा है। वस्तुत: अपराधियों का राजनीतिकरण एवं राजनीति का अपराधीकरण क्रमश: बढ़ता जा रहा है। ये दोनों स्थितियां वर्तमान शासन वर्ग की राजनीतिक संस्कृति का एक लक्षण बन गई है। अपराध के राजनीतिकरण में चुनावों हेतु चंदा या दलीय कोष एकत्रित करने, चुनावी गतिविधियों जैसे सम्मेलन, रैली, बैठकें का आयोजन, चुनावी सामग्री का प्रबंध करने एवं राजनीतिक कार्यकर्ता बनाने में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को महत्ता प्रदान की जा रही है। कल तक जो अपराधी थे वे राष्ट्रीय दलों से टिकट प्राप्त कर विधायक या सांसद बन रहे हैं। राजनीतिक अपराधियों द्वारा विरोधी दलों की जासूसी की जाती है व प्रचार-प्रसार के दौरान उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है।

राजनीति के अपराधीकरण के अन्तर्गत राजनीति अपराध से ग्रसित हो जाती है तथा अपराधी राजनीतिज्ञों का बाना धारण कर लेते हैं। पूर्व में जो अपराधी थे, वे ही राजनेता बनने के कारण उनके आपराधिक संपर्क बने रहते हैं। विचारक ननी ए. पालकीवाला के अनुसार ''मैं नहीं सोचता कि भारत वर्ष अपने पांच हजार वर्ष में कभी अधोगति की ऐसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में वह आज पहुंच गया है। आज महान राष्ट्र नैतिक पतन से ग्रस्त है जिसके अनेक लघु प्रतिबिम्ब में से तीन प्रमुख हैं- अपराध, घोर अव्यवस्था और भ्रष्टाचार''।[1]

ISSN 2348-3857

अंग्रेजी वर्णमाला में 'सी' अक्षर से शुरू होने वाले तीन शब्द क्रिमनलाइजेशन (अपराधीकरण), करप्शन (भ्रष्टाचार) और कास्टिज्म (जातिवाद) हमारे राजनीतिक जीवन एवं व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण का मेल खतरनाक साबित हो रहा है और इससे हमारे प्रजातंत्र एवं राजनीति के समक्ष गंभीर समस्या आ खड़ी हुई है। संसद में कई सांसद, रिश्वत में मिले नोटों की गड्डियों को ही टी. वी. के सामने लहराते नजर आते हैं तो कुछ को तो विश्वास मत हासिल करने के लिये देश की विभिन्न जेलों से लाया जाता है। राजनीति के अपराधीकरण की शुरूआत राजनीतिज्ञों द्वारा चुनावों में अपराधियों की मदद लेने से हुई थी। मोटे तौर पर यह अपराधीकरण इस प्रकार है-[2]

(1) चुनावों के दौरान राजनीतिज्ञों द्वारा 'धन' व 'बाहुबल' का प्रयोग।

(2) सत्ता में रहने वाले राजनीतिज्ञों द्वारा अपराध में सहायता करना, उसे बढ़ावा देना तथा अपराधियों को शरण देना।

(3) प्रशासन का राजनीतिकरण करना खासतौर पर पुलिस विभाग का।

(4) हत्या, लूटपाट, अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त व्यक्तियों का राज्यसभा और लोकसभा में चयन।

(5) सरकार में अपराधियों को प्रतिष्ठित पद/सम्मान मिलना।

इस तरह से हम न केवल राजनीति के अपराधीकरण का सामना कर रहे हैं बल्कि उससे भी घृणित- अपराधियों के राजनीतिकरण का भी मुकाबला कर रहे हैं। अब तो अपराधियों को भी यह अहसास होने लगा है कि राजनीतिज्ञों की मदद के बजाय वे स्वयं ही विधानसभा या संसद में प्रवेश करें और मंत्री पद हांसिल करें ताकि भविष्य में उनकी आपराधिक गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल भी हो जाये। सत्ता में आसीन राजनीतिज्ञ अपने क्षुद्र स्वार्थो के लिये अपराधियों को संरक्षण देते हैं, आश्रय देते हैं और कठिन घड़ियों में उनकी सहायता करते हैं।

राजनेताओं से प्रोत्साहन पाकर ही ये अपराधी बडे-बडे अपराध करते हैं। कुख्यात अपराधी भुजबल व धनबल से चुनाव जीतकर राजनीति करने लगते हैं। इन अपराधियों को राजनीति में लाने में कुछ राजनीतिज्ञों की भूमिका अवश्य होती है। वे व्यक्ति जो पुलिस रिकार्ड के अनुसार हत्या, अपहरण, स्मगलिंग आदि गंभीर अपराधों में लिप्त है और हिस्ट्रीशीटर है उन्हें लोकसभा एवं विधानसभा में राष्ट्रीय दल भी अपना उम्मीदवार बनाते हैं एवं विजयी होने पर संगठन या सरकार में महत्वपूर्ण पद दिया जाता है। राजनीति के संबंध में नियुक्त की गई वोहरा समिति[3] की रिपोर्ट का सारांश है-''अपराधी गिरोह राजनीतिक संरक्षण में फल-फूल रहे हैं। राजनीतिज्ञों और अपराधियों का गठबंधन एक समानान्तर सरकार चला रहा है जिसने राज्य को अप्रासंगिक कर दिया है।''

हमारे नीति निर्माणकर्ता सांसद द्वारा संसदीय शालीनता एवं मर्यादा भी तार-तार हो रही है।[4] संसद में गाली-गलौज तथा मारपीट के दृश्य देखे जा सकते हैं। विगत वर्षो में महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश तथा गुजरात की विधानसभाओं में जो हिंसात्मक व्यवहार हुआ। वह कानून के हनन की पराकाष्ठा है। विगत तीन लोकसभा चुनावों में राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है। 14वीं लोकसभा 2004 में 25 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें 12 प्रतिशत के खिलाफ गंभीर प्रकृति के अपराध दर्ज थे। 15वीं लोकसभा 2009 में 30 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें 15 प्रतिशत के खिलाफ गंभीर प्रकृति के अपराध दर्ज थे। इसी तरह 16वीं लोकसभा 2014 में 34 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें 20 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ गंभीर प्रकृति के अपराध दर्ज है। अधोलिखित सारणी एवं आलेख में इसका विश्लेषण किया गया है।[5]

सारणी- 1 लोकसभा चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से संबंधित विश्लेषणात्मक सूचना[6]

लोकसभा चुनाव वर्ष	कुल उम्मीदवारों की संख्या	घोषित आपराधिक मामलों के साथ उम्मीदवार की संख्या एवं प्रतिशत	घोषित गंभीर आपराधिक मामलों के साथ उम्मीदवारों की संख्या
2004	3263	463 14%	268 8%
2009	7799	1157 15%	617 8%
2014	8204	1404 17%	893 11%

ISSN 2348-3857

सारणी- 2 लोकसभा चुनावों में विजेता सांसदों से संबंधित विश्लेषणात्मक सूचना[6]

लोकसभा चुनाव	विजेता सांसदों की संख्या जिनके शपथ पत्र प्राप्त हुये	घोषित आपराधिक मामलों के साथ विजेता सांसदों की संख्या एवं प्रतिशत	घोषित गंभीर आपराधिक मामलों के साथ विजेता एवं प्रतिशत
2004	511	126 (25%)	60 (12%)
2009	537	161(30%)	78(15%)
2014	542	185 (34%)	111(20%)

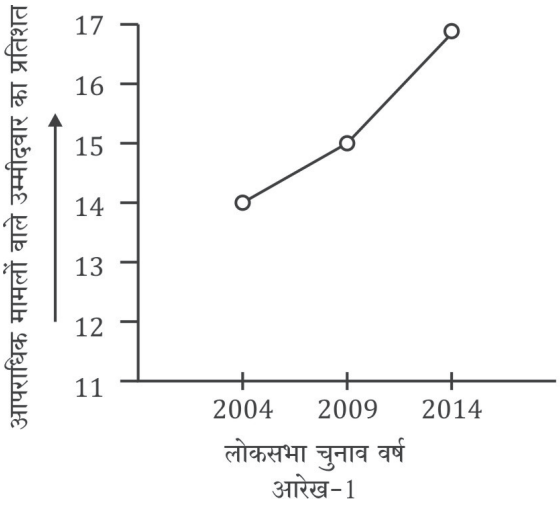

आरेख-1

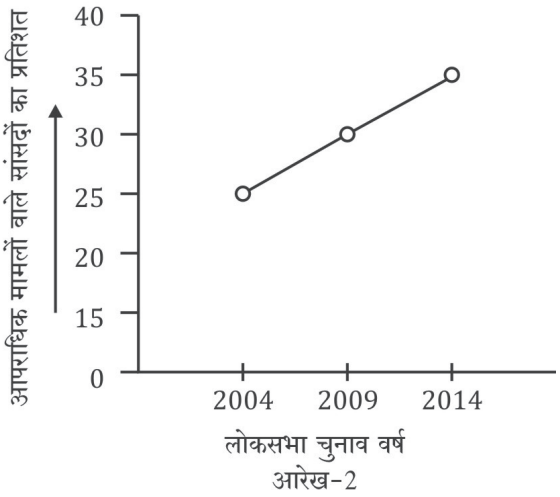

आरेख-2

सारणियों में लिखित संख्याओं एंव आरेख द्वारा यह सिद्ध हो रहा है कि राजनीति में अपराधीकरण अनवरत बढ़ता जा रहा है। राजनीति के अपराधीकरण ने लोकतंत्र को मजाक सा बना दिया है। इस संकट से मुक्ति पाना सरल कार्य नहीं है। आज का जनसेवक कुछ वर्षो में करोड़पति और अरबपति बन जाता है। ऐसे में अपराधियों को यह आसान लगता है कि छल-बल से पहले किसी तरह राजनीति में प्रवेश कर लो फिर इसके बाद धन की कमी नहीं रहेगी एवं स्वयं के खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीतिक प्रभावों द्वारा लंबित किया जा सकेगा। इस मानसिकता के कारण एवं अति विलम्बित न्याय व्यवस्था के कारण निरन्तर राजनीति का अपराधीकरण उच्चता की ओर अग्रसर है।

राजनीति का अपराधीकरण होने से इसके अनेक दुष्प्रभाव परिलक्षित हुये हैं। अपराधीकरण के कारण भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला है। राजनेताओं द्वारा 2-जी स्पेक्ट्रम, कोयला ब्लॉक आंवटन, राष्ट्र मंडलीय खेल, हवाला कांड, संसद में रिश्वत कांड, यूरिया, टेलीफोन, पशुचारा, आवास, बोफोर्स एवं पेट्रोल पम्प आंवटन आदि में खुले रूप में भ्रष्टाचार किया जाता है।[7] जाति, बाहुबल, धनबल के आधार पर जनप्रतिनिधियों को खड़ा करना, चुनावों में पैसा, शराब, हथियार, आतंक का उपयोग कर मतों को प्राप्त करना, किसी को मत न डालने देना, मतपेटियों को छीनना, फर्जी मतदान करना लोकतंत्र की जड़ों में मठ्ठा डालना है।[8] इससे राजनेताओं का दोहरा चेहरा सामने नजर आने लगा है। आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास की कमी हुई है। आज राजनीति सेवा के बजाय एक व्यवसाय बन गई है। वर्तमान में देश में शायद ही ऐसा कोई राजनीतिक दल बचा हो जो यह कह सके कि उसने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया हो या नहीं बनाने का फैसला लिया हो। इसी का परिणाम है कि राजनीति में अपराधीकरण का आरेख निरन्तर बढ़ रहा है।

उपसंहार

राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के प्रति समाज एवं सरकार दोनों ही चिन्तित है। इसके सुधार हेतु अपराधी घोषित व्यक्तियों एवं गंभीर अपराध में शामिल व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर कानूनी रोक होना आवश्यक है। चुनाव व्यवस्था में सुधार किया जाये एवं चुनावों में धनबल एवं बाहुबल के प्रयोग पर नियंत्रण किया जाये। सामान्य जनता में जागरूकता उत्पन्न की जावे कि अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को वोट न दें। इस प्रकार राजनीति में अपराधीकरण को नियंत्रित करने के लिये संस्थागत एवं गैर संस्थागत प्रयासों की महत्ती आवश्यकता है।

ISSN 2348-3857

संदर्भ सूची

1. गोयल, नरेश, भारतीय लोकतंत्र : राजनीति का अपराधीकरण व भ्रष्टाचार, आविष्कार पब्लिशर्स जयपुर, 2013 पृ. 82-89
2. आढ़ा, आर.एस., भारत में निर्वाचन व्यवस्था : चुनौतियां एवं संभावनायें, एबीडी पब्लिशर्स, जयपुर, 2008, पृ. 193
3. कोठारी, रजनी, पॉलिटिक्स इन इंडिया, लिटिल ब्राउन एण्ड कम्पनी, वॉस्टन, 1970, पृ. 57-80
4. भल्ला आर.पी., एस. चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, 2010, पृ. 88-101
5. जौहरी, जे.सी., इंडियन पॉलिटी, लॉटस प्रेस, नई दिल्ली, 2004, पृ. 195-209
6. www.election.com
7. खंडेला, मानचंद, वर्तमान भारतीय राजनीति, अरिहन्त पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2008, पृ. 51-71
8. सिंह, निर्मल कुमार, अपराध और भ्रष्टाचार की राजनीति, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 29-35, 96-111